



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 266 राँची, बुधवार,

8 जून, 2022 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

6 जून, 2022 / 6, ज्येष्ठ, 1944 (शक)

सं.576/3/ईवीएम/2022/एसडीआर/खण्ड-II:- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्रावधान किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और

3. यतः, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 25 मई, 2022 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./52/2022 के तहत घोषित पंजाब के 12-संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरप्रदेश के 7-रामपुर एवं 69-आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, त्रिपुरा के 6-अगरतला, 8-टाउन बोरडोवाली, 46-सुरमा (अ.जा.) एवं 57-जुबराजनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, आंध्रप्रदेश के 115-अट्माकुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 39-राजिन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखण्ड के 66-मान्डर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि उक्त सभी संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों(ई वी एम) एवं वीवीपैट प्रिंटर्स की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।
4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा दिनांक 30.05.2022 को अधिसूचित पंजाब के 12-संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरप्रदेश के 7-रामपुर एवं 69-आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, त्रिपुरा के 6-अगरतला, 8-टाउन बोरडोवाली, 46-सुरमा (अ.जा.) एवं 57-जुबराजनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, आंध्रप्रदेश के 115-अट्माकुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 39-राजिन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखण्ड के 66-मान्डर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के चालू उप निर्वाचनों के लिए को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जहां निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन तथा इस विषय में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।
5. निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटर्स, जिन्हें उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उपर्युक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,

(नरेन्द्र ना.बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(के० रवि कुमार)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

DIRECTION

6th June, 2022 / 6 Jyeshth, 1944 (Saka)

No.576/3/EVM/2022/SDR-Vol.II:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in **current bye-elections in 12-Sangrur Parliamentary Constituency of Punjab, 7-Rampur Parliamentary Constituency & 69-Azamgarh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 06-Agartala, 08-Town Bordowali, 46-Surma(SC) & 57-Jubarajnagar Assembly Constituencies of Tripura, 115-Atmakur Assembly Constituency of Andhra Pradesh, 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency of NCT of Delhi and 66-Mandar(ST) Assembly Constituency of Jharkhand, announced vide the Election Commission's Pres Note No. ECI/PN/52/2022 dated 25th May, 2022** and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in above said Parliamentary Constituency and Assembly Constituency, the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies **12-Sangrur Parliamentary Constituency of Punjab, 7-Rampur Parliamentary Constituency & 69-Azamgarh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 06-Agartala, 08-Town Bordowali, 46-Surma(SC) & 57-Jubarajnagar Assembly Constituencies of Tripura, 115-Atmakur Assembly Constituency of Andhra Pradesh, 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency of NCT of Delhi and 66-Mandar(ST) Assembly Constituency of Jharkhand, notified on 30.05.2022**, as the constituencies in which the votes shall be given and recorded by means

of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of the EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in the above said Parliamentary and Assembly Constituencies.

By Order,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
SR. PR. SECRETARY
